

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उ.प्र. शासन ।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर,
लखनऊ ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 19 अगस्त, 2014

विषय:- यूपीडा के प्रशासनिक व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र सं0-464/यूपीडा/08/147-111, दिनांक 17.07.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे" परियोजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में धनराशि रु.2,43,00,000.00 (रुपये दो करोड़ तैंतालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) यूपीडा द्वारा किसी भी स्थायी देयता का सृजन नहीं किया जायेगा। समस्त पद प्रतिनियुक्ति पर/सेवा स्थानान्तरण पर अथवा सेवा प्रदाता के माध्यम से अनुबन्ध पर ही भरे जायेंगे।
 - (2) यूपीडा द्वारा गाड़ियों का क़य नहीं किया जायेगा अपितु किराये पर ही वाहन लिये जायेंगे।
 - (3) धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके केवल वास्तविक आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए आहरण किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक में नहीं रखी जायेगी।
 - (3) धनराशि सक्षम स्तर के अनुमोदन से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (4) धनराशि का मासिक व्यय विवरण यूपीडा द्वारा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-13 में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ0प्र0शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337 सड़क निर्माण कार्य-03-आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे परियोजना-24 बृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-462/दस-2014, दिनांक 08-08-2014 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय



(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-1188(1)/77-3-14-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: —

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०,इलाहाबाद।

2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०,इलाहाबाद।

3-आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ.प्र., कानपुर।

4-मुख्य/वरिष्ठकोषाधिकारी, लखनऊ।

5-निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2

7-वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

✓ 8-गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,



(अनिल कुमार)
अनु सचिव।